न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2139–तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–6–2014 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल, प्रकरण कमांक 232/अपील/2011–12.

.....

भगवतसिंह आ0 श्री भंवरसिंह राजपूत,
निवासी आंसारेटा पंवार तहसील पचौर,
जिला राजगढ़ म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1–इमरतसिंह आ0श्री चन्दरसिंह राजपूत
2–जनकसिंह आ0श्री चंदरसिंह राजपूत
दोनों निवासी आंसारेटा पंवार तहसील पचौर
जिला राजगढ़ ..... अनावेदकगण

.....

श्री जगदीश जैन, अभिभाषक–आवेदक
श्री गुलाबसिंह चौहान, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 7/3/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–6–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 115, 116 सहपठित धारा 110 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके द्वारा भूमि सर्वे कमांक 619 रकबा 0.609 हेक्टेयर दिनांक 12–6–1998 को पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की गई थी एवं उनके नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो गया थे, परन्तु त्रुटिवश राजस्व अभिलेखों से नाम गायब कर दिया गया है, जबकि वह वर्ष 1998 से लगातार कृषि

कार्य कर रहा है, अतः प्रश्नाधीन भूमि पर उनका नाम दर्ज किया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/अ–6/11–12 दर्ज कर दिनांक 16–4–2012 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि से आवेदक का नाम कम कर अनावेदकगण का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये । तदानुसार त्रुटि संशोधित की गई । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 16–7–12 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और आयुक्त द्वारा दिनांक 9–6–14 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर अपील अपील स्वीकार की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय के समक्ष मूल विक्रय पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया ह । यह भी कहा गया कि कि प्रश्नाधीन भूमि संयुक्त खाते की भूमि है और बिना सहखातेदारों की सहमति के भूमि का विक्रय किया गया है, क्योंकि सहमति आवश्यक थी । तर्क में यह भी कहा गया कि विक्रय पत्र में खाता नम्बर 130 अंकित है जबकि वास्तव में खाता क्रमांक 170 है, इस कारण भी विक्रय पत्र संदेहास्पद है । उनके द्वारा आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि वर्ष 1998 से लगातार अनावेदकगण का नाम प्रश्नाधीन भूमि दर्ज चला आ रहा है, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना उन्हें पक्षकार बनाये आदेश पारित किया गया है जो कि अनावेदकगण पर बंधनकारी नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि आयुक्त द्वारा पारित आदेश

पूर्णतः वैधानिक एवं उचित आदेश होने से स्थिर रखा जाये । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में वाद प्रस्तुत कर अस्थायी निषेद्याज्ञा चाही गई थी और व्यवहार न्यायालय द्वारा दिनांक 21–1–15 को आदेश पारित कर अस्थायी निषेद्याज्ञा का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है । उनके द्वारा आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण में संलग्न विक्रय पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय पत्र अनावेदकगण के पक्ष में निष्पादित किया गया है और उनके नाम नामान्तरण भी स्वीकृत हो गया था, परन्तु उनका नाम अचानक राजस्व अभिलेखों से कम हो जाने के कारण अनावेदकगण द्वारा संहिता की धारा 115, 116 के अन्तर्गत तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे स्वीकार करने में तहसीलदार द्वारा पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, क्योंकि जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदकगण द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की जाकर पूर्व में उनका नामान्तरण राजस्व अभिलेखों में हो चुका था, परन्तु उपरोक्त स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में विधि एवं न्याय की भूल की गई थी, इसलिये आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिये आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–6–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर